हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
(आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित कंपनी)
स्कोप कॉम्पलेक्स, कोर-6, द्वितीय तल,
7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

सं0सं0 ई.IV.96 (प्र.का) दिनांक: **13.09.2017**

परिपत्र 23/2017-18

विषय:- सेवानिवृत्त कार्यपालकों की पूर्णकालिक/अंशकालिक सलाहकार के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु नीति के संबंध में।

सभी संबंधितों का ध्यान में लाया जाता है कि निदेशक मंडल ने दिनांक 24.08.2017को हुई अपनी 331वीं बैठक में सेवानिवृत्त कार्यपालकों की पूर्णकालिक/अंशकालिक सलाहकार के रूप में सेवा प्राप्त करने हेतु नीति का अनुमोदन प्रदान कर दिया है। सभी संबंधितों के संदर्भ के लिए इस संबंध में विस्तृत नीति संलग्न है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(पी.सी. सिंह)
महाप्रबन्धक (मा.सं. एवं प्र.)

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

आवश्यक कार्रवाई हेतु वितरण
1. यूनिट प्रमुख (रसायनी/उद्योगमंडल/बठिंडा)
2. प्रधान कार्यालय के सभी विभागाध्यक्ष
3. सभी क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय
4. अनुसंधान विकास केन्द्र
5. सूचना पट्ट

प्रतिलिपि:-
1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्यालय
2. निदेशक (विपणन)
3. निदेशक (वित्त)
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी
5. सहायक प्रबन्धक (ई.डी.पी.) – वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

प्रधान कार्यालय
नई दिल्ली

विषय:- सेवानिवृत्त कार्यपालकों को सलाहकार के रूप में पूर्ण कालिक/अंश कालिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए नीति।

1. शीर्षक

इस नीति को सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाओं को पूर्णकालिक / अंशकालिक सलाहकार के रूप में प्राप्त करने के लिए एच.आई.एल. की नीति कहा जाएगा।

2. क्षेत्र

नीति में सेवानिवृत्त अधिकारियों को पूर्णकालिक या अंशकालिक सलाहकारों के रूप में एच.आई.एल. में नियत कार्यकाल के आधार पर नियुक्त करना शामिल है। यह नीति पुन: नियुक्ति के लिए नहीं है, लेकिन विभिन्न विषयों में अनुभवी अधिकारियों की अधिवर्षिता के दृष्टिकोण से अपवाद के रूप में और केवल अस्थायी उपाय के रूप में माना जाएगा।

3. योजना का उद्देश्य

3.1. संविदा आधार पर एच.आई.एल., अन्य पीएसयू, केंद्रीय और राज्य सरकार के पूर्व अधिकारियों में उपलब्ध प्रतिभा की विशेषज्ञता और कौशल का उपयोग करना।

3.2. एच.आई.एल. में अपेक्षित विशेषज्ञता की नियमित जनशक्ति न होने की स्थिति/परिस्थिति में अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं सरकारी विभागों के अनुभवी कार्मिकों की नियुक्ति को सुकर बनाना। तदनुसार बाहरी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी विभागों के पेशेवर जो अपने व्यावसायिक क्षेत्रों में अनुभवी/प्रसिद्ध हैं, वे समान आधार पर कंपनी की कार्यात्मक और व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियुक्त किए जांएगे।

4. चयन प्रक्रिया

क) सलाहकारों की ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और

ख) नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए होगी, प्रारंभ में नियुक्ति की तिथि से 06 महीने की अवधि के लिए तथा प्रत्येक 06 माह में उनके प्रदर्शन के आधार पर और प्रबन्धन के विवेकानुसार होगी।

ग) किसी भी समय पर कार्यपालकों की कुल संस्वीकृत शक्ति की उच्चतम सीमा 1% (एक प्रतिशत) के बराबर होगी।

5. चयन प्रक्रिया

क) चयन अधिसूचना के प्रति उत्तर में प्राप्त आवेदनों के आधार पर होगा, आंतरिक स्तर पर एच.आई.एल. स्तर पर प्रसारित किया जाएगा और वेबसाइट www.hil.gov.in पर अपलोड किया जाएगा। तथापि, प्रबंधन की विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर व्यक्तिगत मामलों को सेवानिवृत्त अधिकारियों की सहमति से सीधे संसाधित किया जा सकता है।

ख) एच.आई.एल. की अधिसूचना या आवश्यकता के विरूद्ध प्राप्त आवेदन एच.आई.एल., प्रधान कार्यालय के संबंधित विभाग द्वारा निपटाए जाएंगे।

ग) संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा पेशेवर (प्रोफेशनल) और पूर्व-कार्यपालकों के लिए कार्य का विस्तृत क्षेत्र तथा सुपुर्द कार्य सहित प्रस्ताव और उनके द्वारा विधिवत संस्तुति प्रस्तुत की जाएगी । प्रस्ताव की संबंधित निदेशक द्वारा जांच/संस्तुति की जाएगी और मानव संसाधन विभाग में पूर्ण संवीक्षा के पश्चात अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा । प्रारम्भ में, ऐसी नियुक्तियों 6 माह की अवधि के लिए की जाएंगी और प्रत्येक 6 माह के पश्चात अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदन से संबंधित विभागाध्यक्ष/निदेशक की विनिर्दिष्ट संस्तुति से विस्तारित की जा सकेंगी ।

6. नियुक्ति का प्रस्ताव

नियुक्ति का प्रस्ताव लिखित में जारी किया जाएगा जाएगा और निगमित स्तर अथवा यूनिट स्तर पर विशेष कार्य के लिए अनुमानित अवधि हेतु नियुक्ति की अवधि स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

7. पदनाम

चयनित अभ्यर्थी को विनिर्दिष्ट कार्यक्षेत्र जिसके लिए उन्हें चुना गया है सहित ''सलाहकार'' के रूप में अभिहित किया जाएगा ।

8. प्रतिपूर्ति

8.1. नियुक्त किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एच.आई.एल. सहित) के पूर्व-कार्यपालकों को प्रति माह प्रतिपूर्ति का भुगतान किए गए अंतिम मूल वेतन या अंतिम वेतन (मूल + महंगाई भत्ता) के 50% (भुगतान किए जाने के लिए समेकित) के बराबर होगा, उनके संबंधित संगठन में जो भी कम हो ।

8.2. नियुक्त किए गए केंद्र सरकार/राज्य सरकार के पूर्व कार्यपालकों को उनके द्वारा प्राप्त किया गया अंतिम ग्रेड पे सहित मूल वेतन अथवा कुल वेतन का 50% जो भी कम हो का प्रति माह का भुगतान किया जाएगा । तथापि कुल आय अर्थात प्राप्त होने वाली पेंशन और फी दोनों का जोड़ें सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त किए गए कुल आय से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

8.3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार के पूर्व-कार्यपालक, जो एक माह से भी कम अवधि के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए हों, का भुगतान आनुपातिक रूप से किया जाएगा । उनके प्रति दिन के भुगतान को जानने के लिए, भुगतान की जाने वाली प्रतिपूर्ति को खंड 8.1/8.2 के अनुसार को 26 से भाग किया जाएगा ।

8.4. एच.आई.एल. के पूर्व कार्यपालकों को उनके द्वारा प्राप्त किया गया अंतिम मूल वेतन अथवा कुल वेतन का 50% का (मूल + महंगाई भत्ता) के 50% (भुगतान किए जाने के लिए समेकित) के बराबर होगा, जो भी कम हो । तथापि पूर्व-कार्यपालक, जो एक माह से भी कम अवधि के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए हों, उनके प्रतिपूर्ति की दैनिक दर को निर्धारित करने के लिए समेकित राशि को 26 से भाग करके अनुपातिक रूप से भुगतान किया जाएगा ।

क) वाहन प्रभार: 3000/- प्रति माह

ख) मोबाइल दूरभाष के लिए प्रतिपूर्ति

मोबाइल दूरभाष के लिए प्रतिपूर्ति वास्तविक बिल अथवा 500/- रु0 जो भी कम हो की जाएगी ।

ग) चिकित्सा

सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ योजना के अंतर्गत आने वाले एच.आई.एल. के सभी कार्यपालक कथित योजना के अधीन बने रहेंगे। नियुक्त किए गए ऐसे कार्यपालक, जो एच.आई.एल. नामावली में नहीं थे, कोई भी चिकित्सा लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।

घ) छुट्टी

अवकाश को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक 20 कार्य दिवसों के लिए 1 वेतनिक सहित छुट्टी (साप्ताहिक अवकाश सहित) दी जाएगी।

ङ) यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता

कार्य की तात्कालिक आवश्यकता में जब प्रोफेशनल का एच.आई.एल. की अन्य यूनिट अथवा देश में किसी भी स्थान का दौरा करना आवश्यक है। उन्हें यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का भुगतान उनके संबंधित ग्रेड में हकदारी के अनुसार किया जाएगा।

9. अन्य शर्तें

क) उन्हें नई दिल्ली (प्रधान कार्यालय) या कंपनी की यूनिट में तैनाती के अन्य स्थान पर तैनाती को विशेष रूप से उल्लिखित किया जाए।

ख) पूर्व कार्यपालक अन्य लाभ, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि, उपदान, आवास किराया भत्ता आदि के हकदार नहीं होंगे।

ग) ऐसी नियुक्तियां एच.आई.एल. प्रबन्धन एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार तथा एच.आई.एल. के पूर्व कार्यपालकों के मध्य कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं बनाएगी।

घ) संविदा नियुक्ति की अवधि के दौरान वे उनको सुपुर्द कार्य के प्रति स्वयं को सपर्पित करेंगे।

ङ) 'सलाहकार' के पद पर नियुक्ति कंपनी/सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा की दृष्टि से प्रमाणित होने के अधीन है।

च) सूचना अवधि - अनुबंध की समाप्ति के लिए एक माह की सूचना या समेकित मुआवज़े की राशि दो में से कोई एक।

छ) नियत अवधि का विस्तार –विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर, कार्यात्मक निदेशकों के परामर्श से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा नियत अवधि का विस्तार किया जा सकता है।

ज) दस्तावेजों पर हस्ताक्षर - सलाहकार विभाग से संबंधित दस्तावेज प्रमाणित नहीं करेंगे या बिल पास नहीं करेंगे और एच.आई.एल. के दैनिक कार्य परर निगरानी या नियंत्रण नहीं करेंगे, लेकिन वे उन्हें संदर्भित प्रस्ताव पर लिखित में सलाह देंगे।

झ) गोपनीयता - नियुक्त सलाहकार को कंपनियों के व्यवसाय की अखंडता और गोपनीयता बनाए रखनी है और सलाहकार के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान स्वयं को किसी भी अन्य व्यवसाय से नहीं जोड़ना चाहिए। वे उचित परिश्रम के साथ सलाहकार के कर्तव्यों का पालन करेंगे।

10. आशोधन/संशोधन

10.1. इस योजना के प्रावधान, ऊपर दिए गए सामग्रियों को छोड़कर, अगर किसी में व्याख्या/संशोधन आशोधन की आवश्यकता है, तो अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

10.2. इस योजना के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में, विवाद के निपटारे के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एच.आई.एल. को संदर्भित किया जाएगा, जिसका निर्णय अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केंद्र सरकार/राज्य सरकार और इस योजना के तहत सम्मिलित एच.आई.एल. के पूर्व-कार्यपालक पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

11. अन्य

11.1. वर्तमान में योजना के अनुमोदन से पहले नियुक्त व्यक्तियों को नई योजना की अधिसूचना के बाद भी उनके वर्तमान नियमों और संविदा की शर्तों में कोई बदलाव किए बिना संविदा की शेष अवधि जारी रहेगी।

11.2. असाधारण परिस्थितियों में, जो इस योजना के अंतर्गत नहीं आती हैं, उनका अनुमोदन बोर्ड से लेना होगा।

ह0/-
(पी.सी. सिंह)
महाप्रबन्धक (मा.सं. एवं प्र.)